न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 145/2017

1. रामचन्द्र पुत्र तोताराम जाति अरोडा निवासी वार्ड नं. 10 श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. जयदेवी पुत्री तोताराम पत्नी सरदारीलाल जाति अरोडा निवासी वार्ड नं. 10 श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. कृष्णा देवी पुत्री तोताराम पत्नी खजानचन्द जाति अरोडा निवासी वार्ड नं. 10 श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. उर्मिला देवी पुत्री तोताराम पत्नी कश्मीरीलाल जाति अरोडा निवासी रामसिंहपुर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थीगण

बनाम

1. राकेश कुमार पुत्र तोताराम जाति अरोडा निवासी वार्ड नं. 10 श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।
3. उप पंजीयक राजियासर तहसील सूरतगढ। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि.1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ
दिनांक 19.09.17

उपस्थितिः—

श्री शिशपाल शर्मा, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री रामप्रताप तिवाडी अभिभाषक रेस्पों. सं. 1
श्री श्याम सुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 28/11/18

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष पेश किया जिसके साथ राज.काश्त.अधि. की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण की माता के नाम से चक 4 आर.एम. के प.नं. 113/21(23) की 4.514है. भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी है। प्रार्थीगण के पिता का स्वर्गवास काफी समय पूर्व हो चुका था जिसके कुल 6 वारिस हैं। प्रार्थीगण के परिवार की मुखिया माता थी। वह

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

परिवार की कर्ता होने की नाते उक्त भूमि प्रार्थीगण की माता को आवंटन हुई। प्रार्थीगण की माता का भी देहान्त हो चुका है। प्रार्थीगण की माता ने कभी कोई वसीयत नहीं की। अप्रार्थी सं. 1 ने फर्जी हस्ताक्षर अंगूठा लगवा कर तथाकथित वसीयत दिनांक 05.03.1998 को अपने पक्ष में करवा ली। अप्रार्थी वसीयत के आधार पर भूमि का इन्तकाल अपने नाम करवाकर बेचान करने की फिराक में है। यदि ऐसा करने में वह सफल हो गया तो वादीगण के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। अतः निवेदन है कि उक्त भूमि के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति रखी जावे एवं रहन, बैय आदि द्वारा अन्तरण नहीं किया जावे।

अप्रार्थी सं. 1 ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी की माता को विवादित भूमि 1974 में आवंटित हुई थी। प्रार्थीगण ने गलत तथ्य पेश कर दावा एवं प्रा.पत्र पेश किया है। विवादित भूमि भजनी देवी की स्वअर्जित भूमि है जिसकी वह वसीयत करने की अधिकारी है। अप्रार्थी की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर उक्त भूमि की वसीयत माता द्वारा अप्रार्थी के नाम से की गई। अप्रार्थी के पक्ष में की गई वसीयत में प्रार्थीगण का कोई हित निहित नहीं है। प्रार्थीगण का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

अधी. न्यायालय ने दिनांक 19.09.2017 को प्रा.पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहरोत हुए कथन किया कि अपीलांट्स एवं रेस्पों. सं. 1 आपस में भाई बहन है। विवादित भूमि में सभी भाई बहनों का हक व हिस्सा बनता है। रेस्पों. ने गलत वसीयत अपने पक्ष में तैयार करवा ली है। वसीयत के आधार पर रेस्पों. भूमि को आगे बेचान करना चाहता है। यदि दौराने वाद भूमि का राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन हो जाता है तो अनावश्यक रूप से विवाद बढने की सम्भावना रहेगी। हर प्रकार से मामला अपीलार्थीगण के पक्ष में था फिर भी अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रा.पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि रेस्पों. की माता को आवंटित हुई थी। माता की देखभाल रेस्पों. करता था। माता ने अपने जीवनकाल में उक्त विवादित भूमि की वसीयत दिनांक 05.03.98 को रेस्पों. के पक्ष में कर दी। वसीयत को निरस्त करने का अधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को है। अधी. न्यायालय ने सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण का प्रा.पत्र खारिज किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

इस तथ्य बाबत कोई विवाद नहीं है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 आपस में भाई बहन है। विवादित भूमि अपीलांट्स एवं रेस्पों. सं. 1 को आवंटित हुई थी। अपीलांट का मुख्य तर्क यह रहा है कि रेस्पों. ने फर्जी तौर पर वसीयत अपने नाम से तैयार करवायी है। विवादित भूमि में अपीलार्थी एवं रेस्पों. सं. 1 का ब.हि.ब. बनता है। वसीयत सही है या नहीं, पक्षकारों की माता वसीयत करने की अधिकारी थी या नहीं? अपीलार्थीगण का विरासतन भूमि में हक व अधिकार बनता है या नहीं, इन सभी बिन्दुओं का निर्णय अधी. न्यायालय द्वारा वाद में साक्ष्य आने के पश्चात दोनों पक्षों को सुनकर किया जाना है। यदि वाद के निर्णय से पूर्व विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन हो जाता है तो अनावश्यक रूप से विवाद बढने की सम्भावना रहेगी। इन तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए अधी. न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रा.पत्र खारिज किया है जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2017 निरस्त किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि अधी. न्यायालय में विचाराधीन वाद के निर्णय तक विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति रखी जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/11/18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/11/18

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)